रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032025-261496
CG-DL-E-07032025-261496

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 6, 2025/फाल्गुन 15, 1946
No. 68] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 6, 2025/PHALGUNA 15, 1946

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025

फा.सं. 1(10)/2018-एसपी-I.— केंद्रीय सरकार ने, इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने और पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में और इससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने ताकि उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके, दिनांक 19.07.2018 की अधिसूचना सं. का. आ. 3523 (अ) द्वारा एक स्कीम नामत: 'इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम' अधिसूचित की थी। तत्पश्चात इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों और शीरा आधारित स्टैंडअलोन डिस्टिलरियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीमें दिनांक 08.03.2019 को का.आ.1227 (अ) और का.आ. 1228 (अ) द्वारा अधिसूचित की गई थीं। इसके अलावा, दिनांक 15.09.2020 को अधिसूचना सं. का. आ. 3135 (अ) और का. आ. 3136 (अ) के तहत 30 दिनों के लिए एक छोटी विंडो खोली गई थी, जिसमें शीरा आधारित स्टैंडअलोन डिस्टीलरियों और चीनी मिलों से इस स्कीम के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके अलावा, दिनांक 14.01.2021 की अधिसूचना संख्या का. आ. 148 के तहत "अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और ज्वार), गन्ना, चुकंदर आदि जैसे फीड स्टॉक से फर्स्ट जनरेशन (1जी) इथेनॉल उत्पादन करने के लिए अपनी इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता बढ़ाने अथवा डिस्टिलरियों की स्थापना करने हेतु परियोजना प्रस्तावकों के लिए वित्तीय सहायता देने संबंधी" स्कीम अधिसूचित की गई थी। इसके अलावा, दिनांक

22.04.2022 की अधिसूचना संख्या-1(10)/2018-एसपी-1 के तहत "अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और ज्वार), गन्ना, चुकंदर आदि जैसे फीड स्टॉक से फर्स्ट जनरेशन (1जी) इथेनॉल उत्पादन करने के लिए अपनी इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता बढ़ाने अथवा डिस्टिलरियों की स्थापना करने हेतु परियोजना प्रस्तावकों के लिए वित्तीय सहायता देने संबंधी" स्कीम अधिसूचित की गई थी।

अब, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधित स्कीम को अधिसूचित करती है नामतः - "इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और संवर्धन हेतु मक्का और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न (डीएफजी) जैसे अनाज का उपयोग करने के लिए अपने मौजूदा गन्ना आधारित फीडस्टॉक इथेनॉल संयंत्रों को मल्टी-फीडस्टॉक आधारित संयंत्रों में परिवर्तित करने के लिए सहकारी चीनी मिलों (सीएसएम) को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम"।

(1) पात्रता

इस स्कीम के तहत उद्यमियों के लिए निम्नलिखित हेतु सहायता उपलब्ध होगी:

क) नई विंडो देशभर की केवल सहकारी चीनी मिलों के लिए विशेष रूप से खोली जाएगी ताकि वे अपने मौजूदा गन्ना आधारित फीडस्टॉक इथेनॉल संयंत्रों को मक्का और डीएफजी जैसे अनाजों के उपयोग पर आधारित मल्टी फ़ीडस्टॉक संयंत्रों में परिवर्तित कर सकें।

ख) यह विंडो केवल सहकारी चीनी मिलों के लिए होगी, जिनके पास मौजूदा चल रहा इथेनॉल संयंत्र है अर्थात प्रचालन के लिए वैध सहमति (सीटीओ)और पैट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) लाइसेंस हैं।

(2) स्कीम के तहत सहायता

I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा लिए गए ऋण पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अथवा बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)/ भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए)/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)/ किन्हीं अन्य वित्तीय संस्थानों, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के पात्र हैं, द्वारा लगाई गई ब्याज दर का 50%, जो भी कम हो, एक वर्ष तक के अधिस्थगन काल सहित पांच वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

II. इस स्कीम के अंतर्गत ब्याज सहायता मल्टी-फीडस्टॉक संयंत्रों में प्रस्तावित क्षमता परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक परियोजना के संबंध में स्वीकृत और वितरित ऋण राशि पर प्रदान की जाएगी, जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन तक सीमित होगी।

III. ब्याज छूट केवल उन्हीं सहकारी चीनी मिलों के लिए उपलब्ध होगी जो मल्टी- फीडस्टॉक संयंत्रों में परिवर्तित अपनी डिस्टीलेशन क्षमता के कम से कम 75% इथेनॉल की आपूर्ति पेट्रोल के साथ ब्लैंडिंग के लिए तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) को करेंगी।

IV. यह सहायता उन सहकारी चीनी मिलों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिन्होंने उसी परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य स्कीम के तहत लाभ लिया हो।

(3) आवेदन प्रस्तुत करना

इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए, सहकारी चीनी मिल को स्कीम की अधिसूचना की तारीख से 6 माह के भीतर राष्ट्रीय एकल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल (http://www.nsws.gov.in/) पर एक आवेदन-सह-प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा ।

(4) आवेदनों का मूल्यांकन/अनुमोदन

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा सहकारी चीनी मिलों के लिए प्रस्तावित स्कीम के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए एक छानबीन (स्क्रीनिंग) समिति गठित की जाएगी। उक्त समिति, अपेक्षित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, आवेदनों की जांच करेंगी। सरकारी देयताओं वाली चीनी मिलों के मामले में सरकारी देयताओं का निपटान करने के पश्चात ही सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। छानबीन (स्क्रीनिंग) समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों को सचिव (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण) के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) स्कीम की रूपरेखा

क) आवेदन-सह-प्रस्तावों की जांच करने के पश्चात, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग अपना सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करेगा और उधार देने वाले बैंकों / वित्तीय संस्थानों को ऋण स्वीकृत करने के संबंध में विचार करने हेतु ऐसे अनुमोदित प्रस्तावों की संस्तुति करेगा। बैंकों/ एनसीडीसी/ आईआरईडीए/ एनबीएफसी/ कोई अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के पात्र हैं, अपने वाणिज्यिक मानदण्डों/नीतियों के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित पुनर्संरचना से संबंधित दिशा-निर्देशों सहित विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में ऋण संस्वीकृत करने/जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

ख) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के भीतर बैंकों/एनसीडीसी/आईआरईडीए/एनबीएफसी/कोई अन्य वित्तीय संस्थान से, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के पात्र हैं, आवेदक को ऋण संवितरित हो जाना चाहिए, ऐसा न होने पर परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन रद्द हो जाएगा। इसके अलावा, बैंकों/एनसीडीसी/आईआरईडीए/ एनबीएफसी/ कोई अन्य वित्तीय संस्थान से, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के पात्र हैं, ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से 2 वर्ष के अंदर परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए।

ग) आवेदक को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा यथा निर्दिष्ट समय-सीमा का पालन करना चाहिए और प्रत्येक माह प्रगति से अद्यतित कराया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को रद्द किया जा सकता है।

घ) स्कीम के अधीन ऋण का संवितरण अलग खाते में किया जाएगा ताकि उक्त प्रयोजन के लिए धनराशि के उपयोग की मॉनीटरिंग सुगमता से की जा सके।

(6) ब्याज अनुदान के भुगतान की रूपरेखा

क) स्कीम के अधीन ऋण राशि पर ब्याज छूट का भुगतान एक वर्ष की स्थगन अवधि सहित 5 वर्षों तक सीमित होगा।

ख) भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान का लाभ तभी मुहैया कराया जाएगा, यदि आवेदन करने वाली सहकारी चीनी मिल का खाता मानक है और खाता एनपीए होने तक यह उपलब्ध नहीं होगा। सहकारी चीनी मिल चूक की अवधि के लिए मूलधन के साथ दंडात्मक ब्याज सहित ब्याज चुकाने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके अलावा, बैंकों को चूककर्ता ऋणग्राहियों के विरुद्ध बैंकिंग मानदंडों तथा लागू बैंकिंग विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने की स्वतन्त्रता होगी।

ग) सहकारी चीनी मिलों के पास अधिशेष नकदी प्रवाह के मामले में बैंकों/ एनसीडीसी / आईआरईडीए/ एनबीएफसी/ कोई अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त पोषण के पात्र हैं, द्वारा शीघ्र भुगतान लेने का निर्णय लिया जा सकता है और ऋण खाते के संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ब्याज छूट संबंधी देयता तदनुसार कम हो जाएगी।

घ) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) नोडल बैंक नाबार्ड को ब्याज छूट की धनराशि त्रैमासिक आधार पर अग्रिम रूप में जारी करेगा। अग्रिम रूप में भुगतान की गई ब्याज छूट पर अर्जित ब्याज का समायोजन आगामी त्रैमासिक किस्त में किया जाएगा।

(7) परियोजना पूर्ण होने का प्रमाणपत्र

"संबंधित सहकारी चीनी मिल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रचालन के लिए सहमति प्रस्तुत करेंगी। मौजूदा सिंगल फीड-स्टॉक आधारित इथेनॉल संयंत्र को मल्टी-फीडस्टॉक आधारित संयंत्रों में परिवर्तित करने के लिए, ऋण प्राप्त करने वाली सहकारी चीनी मिलों द्वारा संबंधित राज्य सरकार प्राधिकरण या चार्टर्ड इंजीनियर से विधिवत सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि मौजूदा सिंगल फीड डिस्टिलरी का मल्टी-फीड इथेनॉल डिस्टिलरी में परिवर्तन पूर्ण हो गया है तथा इथेनॉल का उत्पादन/ बढ़ा हुआ उत्पादन शुरू हो गया है और इस उद्देश्य के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रस्तावित विधि के माध्यम से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) प्राप्त कर लिया गया है। ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर केंद्र सरकार द्वारा ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।"

(8) उपयोगिता प्रमाणपत्र

"संबंधित सहकारी चीनी मिलों को परियोजना के पूर्ण होने के 6 महीने के अंदर स्वीकृत ऋण राशि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो यह प्रमाणित करेगा कि इस ऋण राशि का उपयोग स्कीम में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया है। ऐसे मामलों के लिए जहां परियोजना के पूर्ण होने के 6 महीने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसे मामलों पर उचित कारणों के आधार पर विचार किया जाएगा और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब के लिए छूट, यदि कोई हो, तो ऐसे मामलों की योग्यता के आधार पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा विचार किया जाएगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।"

(9) जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा अथवा लिखित में कारण दर्ज करके इस स्कीम के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है।

अश्विनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव।

आवेदन प्रपत्र

संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना के तहत मक्का और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न (डीएफजी) जैसे अनाज का उपयोग करने के लिए अपने मौजूदा गन्ना आधारित फीडस्टॉक इथेनॉल संयंत्रों को मल्टी-फीडस्टॉक आधारित संयंत्रों में परिवर्तित करने हेतु सहकारी चीनी मिलों के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना के लिए आवेदन।

क. पूर्व-अपेक्षित जानकारी

क्या आप एक सहकारी चीनी कारखाना हैं, जिसमें गन्ना आधारित इथेनॉल डिस्टिलरी मौजूद है?	हाँ/नहीं

ख. परियोजना प्रस्तावकों का विवरण

संगठन का नाम	
संयंत्र का नाम	
पता 1	
पता 2	
पिन कोड	
राज्य	
जिला	
उप-जिला	
ब्लॉक	
ग्राम	
ईमेल	
मोबाइल नंबर	
वैकल्पिक मोबाइल नंबर	
संयंत्र कोड	
चीनी मिल/मौजूदा डिस्टिलरी के इथेनॉल उत्पादन की प्रारंभ करने की तिथि	

मौजूदा डिस्टिलरी की इथेनॉल उत्पादन क्षमता, (केएलपीडी में)	
मौजूदा डिस्टिलरी के प्रचालन के दिनों की संख्या/वर्ष, यदि कोई है	
जीएसटी संख्या	
एसडीएफ बकाया की स्थिति, यदि कोई है	

ग. मौजूदा गन्ना आधारित फीडस्टॉक इथेनॉल संयंत्रों को मल्टी-फीडस्टॉक आधारित संयंत्रों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव से संबंधित सूचना

मल्टी फीड इथेनॉल संयंत्र में परिवर्तित करने के लिए प्रस्तावित फीडस्टॉक	**विकल्प मक्का/ डीएफजी/ एफसीआई चावल/ कोई अन्य फीडस्टॉक**
सीपीसीबी द्वारा अनुमोदित जेडएलडी प्रणालियों के लिए प्रौद्योगिकी	
मल्टी फीड प्लांट में परिवर्तित करने के लिए प्रस्तावित क्षमता (केएलपीडी में)	
परियोजना के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से मांगी/अनुरोध की जाने वाली वित्तीय सहायता (करोड़ में)	
क्या उसी परियोजना के लिए एसडीएफ सहायता या किसी अन्य विभाग से ऋण लिया गया है?	
मल्टी फीड में परिवर्तन के बाद संयंत्र के प्रचालन के प्रस्तावित दिन	
संयंत्र को मल्टी फीड में परिवर्तन पूर्ण करने की प्रस्तावित तिथि	

घ . अपलोड किए जाने वाले सहायक दस्तावेजों का विवरण।

सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा जारी प्रचालन की सहमति (सीटीओ) प्रमाणपत्र संख्या	
सीटीओ प्रमाणपत्र अपलोड	**पीडीएफ अपलोड**
पीईएसओ लाइसेंस संख्या	
पीईएसओ लाइसेंस अपलोड	**पीडीएफ अपलोड**
भूखंड का अक्षांश	
भूखंड का देशांतर	
पर्यावरण मंजूरी प्रमाणपत्र की संख्या, यदि उपलब्ध है	
पर्यावरण मंजूरी प्रमाणपत्र की तिथि	
ईसी अपलोड	**पीडीएफ अपलोड**

ङ. परियोजना के लिए स्वीकृति और संवितरण विवरण

मल्टी-फीड आधारित इथेनॉल संयंत्र में परिवर्तन के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा पहले से स्वीकृत ऋण की राशि/सैद्धांतिक स्वीकृति (करोड़ रुपये में), यदि लागू हो	
ऋण स्वीकृति पत्र, यदि लागू हो	**पीडीएफ अपलोड**
मल्टी-फीड आधारित इथेनॉल संयंत्र में परिवर्तन के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से स्वीकृत ऋण के लिए प्राप्त संवितरण (करोड़ रुपये में)	

बैंकों/वित्तीय संस्थान का नाम, यदि लागू हो	
पहले संवितरण की तिथि	
संवितरण का प्रमाणित बैंक विवरण	**पीडीएफ अपलोड**
कुल संवितरण (करोड़ रुपये में)	

च . तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को इथेनॉल की बिक्री का विवरण

क्या तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के साथ इथेनॉल की बिक्री के लिए कोई करार किया गया है?	
यदि हाँ, करार की प्रति अपलोड करें	**पीडीएफ अपलोड**

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2025

F.No.1(10)/2018-SP-I.—The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and thereby to improve the liquidity position of the sugar mills enabling them to clear cane price arrears of the farmers notified the scheme namely "Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity" vide Notification No. S.O. 3523(E), dated 19.07.2018. Thereafter, schemes for extending financial assistance to sugar mills & molasses based standalone distilleries for enhancement and augmentation of ethanol production capacity were notified on 08.03.2019 vide Notifications No. S.O. 1227(E) & S.O. 1228(E). Further, vide Notifications No. S.O. 3135(E) & S.O. 3136(E) dated 15.09.2020, a small window was opened for 30 days for inviting applications under the scheme from molasses based stand alone distilleries and from sugar mills. Further vide notification No. S.O 148 dated 14.01.2021 scheme "For extending financial assistance to project proponents for enhancement of their ethanol distillation capacity or to set up distilleries for producing 1st Generation (1G) ethanol from feed stocks such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane, sugar beet etc." notified. Further, vide Notification No. 1(10)/2018-SP-I dated 22.04.2022 scheme "For extending financial assistance to project proponents for enhancement of their ethanol distillation capacity or to set up distilleries for producing 1st Generation (1G) ethanol from feed stocks such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane, sugar beet etc." was notified.

Now, the Central Government hereby notifies the following modified scheme namely- "Scheme for extending financial assistance to Co-operative Sugar Mills (CSMs) for conversion of their existing sugarcane based feedstock ethanol plants into multi-feedstock based plants to use grains like Maize and Damaged Food Grains (DFG) for enhancement and augmentation of ethanol production capacity".

(1) Eligibility

Assistance under the Scheme shall be available to the entrepreneurs for:

a) The opening of new window will be exclusively for Cooperative Sugar Mills across the country only for conversion of their existing sugarcane based feedstock ethanol plants into multi-feedstock based plants to use grains like Maize and DFG.

b) The Window will only be for Cooperative Sugar Mills which have existing/running ethanol plant having valid Consent to Operate (CTO) and Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO) license.

(2) Assistance under the Scheme

I. Interest subvention @ 6% per annum or 50% of rate of interest charged by banks/National Cooperative Development Corporation (NCDC)/ Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA)/ Non-Banking Financial Companies (NBFCs)/any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD, whichever is lower, shall be borne by the Central Government for five years including one year moratorium against the loan availed by project proponents.

II. Interest subvention under the Scheme shall be provided on loan amount sanctioned and disbursed in respect of each project based on the proposed capacity conversion into multi-feedstocks plants, limited to the in-principle approval by Department of Food and Public Distribution (DFPD).

III. Interest subvention would be available to only those Cooperative Sugar Mills, which will supply at least 75% of ethanol produced from their converted distillation capacity into multi-feed plants to Oil Marketing Companies (OMCs) for blending with petrol.

IV. Assistance shall not be available to those Cooperative Sugar Mills, which have availed benefits under any other Scheme of Central Government for the same project

(3) Submission of application

For availing assistance under the Scheme, the Cooperative Sugar Mill would be required to submit an application-cum-proposal within 6 months from the date of Notification of the Scheme through online on the National Single Window System (NSWS) portal **(http://www.nsws.gov.in/)**.

(4) Appraisal/Approval of applications

DFPD will constitute a Screening Committee to scrutinize the applications received under the proposed Scheme for Cooperative Sugar Mills. The said Committee shall scrutinize the applications keeping in view the parameters as deemed necessary. In case of sugar mills having Government dues, in-principle approval would be accorded only after clearance of Government dues. The proposals recommended by the Screening Committee will be put up to Secretary (F& PD) for approval.

(5) Modalities of the Scheme

a) After scrutinizing the applications-cum-proposals, DFPD will accord in-principle approval and recommend such approved proposals to the lending banks/financing institutions for considering sanction of loan. Banks/NCDC/IREDA/NBFCs/any other Financial Institutions which are eligible for re-finance from NABARD would be at liberty to sanction/release the loan as per their commercial norms/policies and in compliance with regulatory guidelines, including the restructuring guidelines, as notified by RBI from time to time.

b) The Applicant should get the loan disbursed from the Banks/NCDC/IREDA/ NBFCs/any other Financial Institutions which are eligible for re-finance from NABARD, within one year from the date of in-principle approval of DFPD, failing which the in-principle approval for the project shall stand cancelled. Further, the project should be completed within 2 years from the date of disbursement of 1st instalment of loan from Banks/NCDC/IREDA/NBFCs/any other Financial Institutions which are eligible for re-finance from NABARD.

c) The applicant should adhere to the time line as specified by DFPD and update progress every month, failing which the in-principle approval for the project may be cancelled by DFPD.

d) The disbursement of loan under the Scheme shall be in a separate account so that the utilization of the money for the said purpose is easily monitored.

(6) Modalities for payment of Interest Subvention

a) Payment of interest subvention on loan amount under the Scheme will be limited to only 5 years including one year moratorium period.

b) The benefit of interest subvention will be provided by Government of India only if the account of Applicant Cooperative Sugar Mill is Standard and will not be available as long as account is NPA. The Cooperative Sugar Mill will be responsible for repayment of interest including penal interest for the period of default along with the principal. Further, banks will be free to take necessary action against the defaulting borrowers as per banking norms and applicable regulatory guidelines.

c) In the event of surplus cash flow with the Cooperative Sugar Mills, accelerated payments may be decided by the Banks/NCDC/IREDA/NBFCs/ any other Financial Institutions which are eligible for re-finance from NABARD and the interest subvention liability of DFPD towards loan account would accordingly get reduced.

d) The Department of Food and Public Distribution (DFPD) will release the interest subvention amount on quarterly basis in advance to the nodal bank NABARD. The interest earned on the interest subvention paid in advance shall be adjusted in the next quarterly installment.

(7) Project Completion Certificate

"The concerned Cooperative sugar mills shall submit Consent to Operate duly issued by the Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board/ Competent Authority of State Government. Cooperative Sugar Mills availing loan for conversion of existing single feed-stock based ethanol plant into multi-feedstock based plants shall submit a certificate duly verified by the concerned State Government Authority or the Chartered Engineer certifying that the conversion of the existing single feed distillery to multi feed ethanol distillery has been completed and production/enhanced production of ethanol has commenced and Zero Liquid Discharge (ZLD) has been achieved through the method proposed at the time of submitting application for such purpose. Any failure to submit such certificate shall lead to non reimbursement of interest subvention by the Central Government.

(8) Utilization Certificate

"The concerned Cooperative Sugar Mills shall submit Utilization Certificate for the sanctioned loan amount within 6 months of the completion of the project, duly certified by the Chartered Accountant, certifying that the loan amount has been utilized for the purpose specified in the Scheme. For cases where Utilization Certificate have been submitted beyond 6 months of completion of the project, such cases will be considered based on justified reasons and relaxation, if any, for delay in submission of Utilization Certificate would be considered by DFPD on merit of such cases. Any failure to submit the Utilization Certificate shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government."

(9) Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing modify any of the provisions of this Scheme.

ASWANI SRIVASTAVA, Jt. Secy.

APPLICATION FORM

Application for scheme for extending financial assistance for co-operative sugar mills under modified ethanol interest subvention scheme for conversion of their existing sugarcane based feedstock ethanol plants into multi-feedstock based plants to use grains like maize and DFG.

A. Pre-requisite Information

Are you a Co-operative Sugar Factory with existing sugarcane based ethanol distillery?	YES/NO

B. Details of the Project Proponents

Name of Organization	
Name of Plant	
Address 1	
Address 2	
Pin code	
State	
District	
Sub-District	
Block	
Village	
Email	
Mobile Number	
Alternate Mobile Number	
Plant Code	
Date of Commencement of Ethanol Production of the Sugar Mill/Existing Distillery	
Production capacity of Ethanol of the existing distillery, (in KLPD)	
Number of Days of Operation / Annum of existing distillery, if any	
GST No.	
Status of SDF Dues, if any	

C. Information relating to proposal for conversion of existing sugarcane based feedstock ethanol plants into multi-feedstock based plants

Proposed feedstock for conversion to Multi feed ethanol plant	**Option Maize/DFG/FCI rice/Any Other Feedstock**
Technology for ZLD Systems approved by CPCB	

Capacity proposed to be converted into multi feed plant (in KLPD)	
Financial assistance requested/to be requested from Banks/Financial Institutions for the project (in Cr)	
Whether SDF assistance or assistance from any other Department been availed for same project?	
Proposed days of operations of the plant after conversion to multi feed	
Proposed date for completion of conversion of plant to multi feed	

D. Details of the supporting documents to be uploaded.

Consent to Operate (CTO) Certificate number issued by CPCB/SPCB	
CTO Certificate upload	**PDF Upload**
PESO License number	
PESO License upload	**PDF Upload**
Latitude of the plot	
Longitude of the plot	
Environment Clearance Certificate Number, if available	
Environment Clearance Certificate Date	
EC upload	**PDF Upload**

E. Sanction and Disbursement details for the project

Amount of loan already sanctioned / In- principle approval already given by Banks/Financial Institutions for conversion to multi-feed based ethanol plant (Rs. in Crore), if applicable	
Loan sanction letter, if applicable	**PDF Upload**
Disbursement availed for loans sanctioned from Banks/Financial Institutions for conversion to multi-feed based ethanol plant (Rs. In Crore) , if applicable	
Name of Bank / FI, if applicable	
Date of first disbursement	
Certified Bank Statement of Disbursement	**PDF Upload**
Total Disbursement (Rs. in Crore)	

F. Details of sale of Ethanol to OMCs

Whether any Agreement for sale of ethanol has been signed with OMCs?	
If yes, upload copy of Agreement	**PDF Upload**

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.07 13:54:32 +05'30'